भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/09/2015/एफ.सी. /685 दिनॉकः 13.12.2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.- FP/RJ/Road/6991/2014

विषय : जनपद बांरन में आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत गरडा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु 3.98 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भः अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान– एफ14()2014/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/4288,दिनांक–20.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 11.02.2016 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के पत्रांक– एफ14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/बारा रोड्स/3880, दिनांक– 01.11.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

तदोपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 22.11.2017 द्वारा पुनः आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपलान आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बांरन में आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत गरडा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु 3.98 हे0 वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 3.98 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 3.98 हे0 गैर वन भूमि का आबंटन वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

5. आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।

8. ले आउट प्लान में परिवर्तन नही किया जाएगा।

9. प्रस्तावित वन भूमि किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को नही स्थानान्तरित नही की जाएगी।

10. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

भवदीय

13.12.17

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

o/c

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. उप वन संरक्षक, बांरन, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विकास खण्ड, शाहाबाद, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

13.12.17

o/c (के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)